न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस

...प्रकरण संख्या 01/2021 (55/2015)

1. गुरईकबाल सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर

–प्रार्थी

बनाम

1. सुखजीत कौर पुत्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 69 आर.बी तह. रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर हाल निवासी 107 टेरा फिरमा लेन वोलो, इली 60020 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जरिये मुख्तयारेआम दीप सिंह गिल पुत्र श्री अमरजीतसिंह जरिये मु. आम दीपसिंह गिल पुत्र श्री अमरजीतसिंह गिल जाति जटसिख सा. 69 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर राजस्थान सरकार
3. गुरदीदार सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह जटसिख निवासी 69 आर.बी. रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थितिः–
1. श्री सतपाल बिश्नोई वकील प्रार्थी
2. श्री रविन्द्र विश्नोई वकील अप्रार्थी सं. 1
3. श्री धर्मवीर सिंह वकील अप्रार्थी सं. 3

–: निर्णय :– दिनांकः–18.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी गुरईकबाल सिंह पुत्र सुदर्शन सिह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत करने पर दोनों पक्षों के सुनने के उपरान्त इस न्यायालय के निर्णय दिनाक 20.08.2019 के चक 69 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013है एवं मु.नं 10 के कि.नं. 21 के कोना में 0.001है. गै.मु. रास्ता स्वीकार किया गया हैं। तहसीलदार राजस्व नियमानुसार स्वीकृतशुदा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश गये तथा प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को उतनी ही भूमि मुआवजे के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर प्रार्थी की (अप्रार्थीगण की चिपती) खातेदारी भूमि में रास्ते में आई भूमि जितना रकबा कम करते हुए अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये थे। जिसकी अपील अप्रार्थी सुखजीतकोर उफ मनदीपसिहं पुत्री अमरजीतसिहं के द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी , श्री गगांनगर के यहॉं अपील सं. 38/2020 दायर की गई। उनके निर्णय दिनांक 19.04.2021के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.8.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.08.2019को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश साथ रिमाण्ड किया गया कि राज.काश्त. अधि. 1955 के नियम 251–क(1) के उपनियम 69–70 की पालना कर अपीलान्ट के भाई मुख्तयारेआम दीपसिहं गिल पुत्र अमरजीतसिहं गिल जाति जटसिख निवासी 69 आर बी. तहसील रायसिंहनगर को अपना पक्ष रखने पर समुचित सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने के ...

2. उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 27.08.202... पर पेशी में ली जाकर उक्त निर्देशानुसार पक्षकारों को तलब किया... अप्रार्थीगण की ओर से उसके अधिवक्ता श्री सतपाल बिश्नोई ... दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत किया। ... आम दीपसिहं गिल पुत्र श्री अमरजीतसिहं गिल ने दिनांक 29.11.2022 को जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व वकालतनामा श्री रविन्द्र विश्नोई अधिवक्ता प्रस्तुत किया । अपने जबाव प्रार्थना–पत्र मे प्रार्थीगण के प्रार्थना –पत्र में अंकित मद सं. 1–2–3–4

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

का विरोध प्रकट करते हुये अस्वीकार किया। सही तथ्यों व मौका की वस्तुस्थिति को छिपाया गया है .इसलिये प्रा. पत्र काबिल निरस्ती के है।

3. अपने अतिरिक्त आपतियां में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता कतई सरल , सुगम व सुविधाजनक नहीं है, चूंकि आवेदक के अपनी भूमि में पहुँच के लिये चक 69 आर बी की आबादी के मु.न. 35 के आम रास्ता (फिरनी) से आगे तीन मुरब्बा चलने के बाद प्रार्थीगण अपने भाई जोगेन्द्र सिहं के मु.न. 24 के कि.न. 21 में प्रवेश कर साथ सटते अपनी भूमि मु.न. 11 में पहुँचता है तथा इस चालू रास्ता के अलावा आबादी के आम रास्ता से आगे दो मुरब्बा चलने के बाद मु.न. 23 के कि.न. 2–9–12–19 व 22 से मु.न. 12 के कि.न. 23–24–25 से होते हुये अपनी भूमि मु.न. 11 के कि.न .21 में पहुँचता है ओर यहाँ यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि सुविधाजनक आवागमन के लिये मु.न. 12 के कि.न. 25 व मु.न. 11 के कि.न. 21 के मध्य पक्की पुलिया पुरानी बनी हुई है जिससे आसानी से आवागमन प्रार्थीगण करता आ रहा है। जबकि मिन अनावेदका के रकबा मु.न. 9 से चाह गया रास्ता आबादी से सात मुरब्बा दुर पड़ने के साथ–साथ कि.न. 25 में पहले से ही भगवान श्री हनुमान जी का मन्दिर स्थित होने से भी रास्ता दिय जाना संभव नहीं है, इसके अलाव मिन अनावेदका के रकबा मु.न. 9 के कि.न.1 से 5 में सरकारी खाला मौजूद होने से भी रास्ता स्वीकृत किया जाना विधि सम्मत भी नहीं है ,मंदिर में मिन अनावेदक वा आमजन की काफी श्रद्वा निहित है मंदिर हटाने से उनकी धार्मिक भावनायें आहत होगी। एक मुरब्ब में खाला व रास्ता दोनो स्वीकृत नहीं किये जा सकते। चूकि आवेदक के समक्ष प्रस्तावित रास्ता की अपेक्षाकृत सरल, सुगम ,सुविधाजनक व नजदीक है मगर आवेदक ने जानबुझकर यह तथ्य छिपाये है और मौका का विस्तृत नक्शा व तथ्य पेश नहीं किये है, तहसीलदार से मौका की विस्तृत स्थिति व तथ्य की जॅाच करवा जांच रिर्पोट मय नक्शा सहित मंगवायाा जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा।

4. अप्रार्थीगण ने काफी शारीरिक मेहनत व खर्चा लगा कर भूमि को संवारा है जिससे भूमि काफी कीमती व उपजाऊ है तथा अप्रार्थीगण के रकबा के कि.न. 21 से 25 में कभी रास्ता चालू नहीं रहा है न ही मौका पर चालू है न दिया जाना सुसंगत व सुविधाजनक ही है। प्रार्थीगण ने जानबुझकर कर अप्रार्थीगण को नाहक हेरान–परेशान करने के आशय से ही प्रकरण पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है। मौका निरीक्षण कर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. इस पर पुनः तहसीलदार रायसिहंनगर से मौका जॉच रिर्पोट मय नक्शा मंगवाई गई। तहसीलदार रायसिहंनगर ने अपने पत्र क्रमाक /राजस्व/ 24/369 दिनांक 21.03.2024 के अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड के प्रार्थी गुरईकबाल सिहं पुत्र सुदर्शन सिहु जाति जटसिख साकिन देह के नाम चक 69 आर बी के प.न. 197/271 मु.न. 11 के कि.न.1 ता 25 के 6.325 है0 नहरी भूमि बाग मय खाला दर्ज रिकॅार्ड है। अप्रार्थी के नाम चक 69 अर बी के मु.न. 9 के 5.085है0 भूमि सुखजीतकौर पत्नि अमरजीतसिहं जाति जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज रिकॅार्ड है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु चक 69 आर बी के मु.न. 29–20–15–6–7–8 में स्वीकृत शुद्वा रास्ते आगे मु.न. 9 के कि.न. 21 त 25 में प्रत्येक में 0.025 है0 रास्ता की मॉग की है। प्रार्थी वर्तमान में मु.न. 23 के कि.न. 2–9–12–19–22 तथा मु.न. 12 के कि.न. 23–24–25 से होता हुआ अपने रकबे मु.न. 11 में पहुँचता है। [illegible] लेकिन यह रास्ता स्वीकृत शुद्वा नहीं है। यह रास्ता प्रार्थी के भूमि [illegible] हेतु 6 मुरब्बे दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ता मु.न. 9 के कि.न. 21 [illegible] हुआ है। अन्य वैकल्पिक मार्ग उक्त चक के मु.न. 27 व 26 में स्वी[illegible] शुद्वा रास्ते से आगे मु. न. 25 के कि.न. 1/0.002 तथा मु.न. 24 के कि.न. [illegible] 21 प्रत्येक में 0.025 है0 किया जा सकता है। यह [illegible] अपनी भूमि में पहुँच हेतु 4 मुरब्बे दूरी पर है। अपनी रिपोट के साथ [illegible] भू–अभिलेख निरीक्षक, फर्द मौका मय नजरी नक्शा व जमाबन्दी नकल सहित प्रस्तुत की है।

उपखण्ड अधिकारी
राय[illegible]नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

6. बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु मु.नं. 9 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .013 है एवं मु.नं 10 के कि.नं. 21 के कोना में रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। साथ ही यह निवेदन किया कि प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले अप्रार्थीगण को अपनी भूमि में से उतनी ही भूमि मुआवजा के तौर पर देने हेतु तैयार हैं। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि अप्रार्थी सं. 3 की भूमि मु.नं. 10 के कि.नं. 21 में रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं हैं। तथा रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

7. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवदेन किया कि प्रार्थी अपने खेत में जाने हेतु अपने भाई जोगेन्द्र सिहं के मु.न. 24 के कि.न. 21 में प्रवेश कर साथ सटते अपनी भूमि मु.न. 11 में पहुँचता है तथा इस चालू रास्ता के अलावा आबादी के आम रास्ता से आगे दो मुरब्बा चलने के बाद मु.न. 23 के कि.न. 2–9–12–19 व 22 से मु.न. 12 के कि.न. 23–24–25 से होते हुये अपनी भूमि मु.न. 11 के कि.न 21 में पहुँचता है ओर यहाॅं यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि सुविधाजनक आवागमन के लिये मु.न. 12 के कि.न. 25 व मु.न. 11 के कि.न. 21 के मध्य पक्की पुलिया पुरानी बनी हुई है जिससे आसानी से आवागमन प्रार्थीगण करता आ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

8. बहस उभयपक्ष के अधिवक्तागण पर मनन किया। उक्त विवेचन एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक रायसिंहनगर की रिर्पोट के सलंग्न नक्शा मोके का अवलोकन करने पाया गया है कि प्रार्थीगण के अपने खेत में जाने हेतु वाके चक 69 आर बी के मु.न. 12 के कि.न. 23–24–25 में से होकर अपने खेत में जाता रहा है जो रास्ता स्वीकृत नहीं होना बताया गया है। जबकि इन खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अन्य स्वीकृत रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपने खेत में आने के लिए सुविधा जनक के लिए पूर्व में स्वीकृत रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित होगा। वाके चक 69 आर बी के मु.न. 9 के कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.013 है0 एवं मु.न.10 के कि.न. 21 के कोना में 0.001 है. गै.मु. रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशी मुआवजा के तौर पर तहसील कार्यालय रायसिंहनगर में जाम करवाए तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से मुआवजा राशी जाम कर अप्राथीगण को उनके हिस्सानुसार मुआवजा राशी का भुगतान करें। इसी अनुसार राजस्व रिकॅार्ड में अमल–दरामद किया जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखा व लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.04.24 16:21:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner